

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

का०आ०सं०-०७/स्था०-०९-१६/२०२५, परि०

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक-276, दिनांक-15.12.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विरुद्ध पिपरा कोठी थाना, मोतिहारी में प्राथमिकी सं०-425/25, दिनांक-14.12.2025 धारा-308(2)/61(2)ए बी०एन०एस० एवं 7(a)/7A, भ्रष्टाचार निवरण संशोधित अधिनियम-2018 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दिनांक-14.12.2025 को गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में सुपुर्द किया गया है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश सं०-9930, दिनांक-18.12.2025 द्वारा श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 14.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार दिनांक-20.02.2026 को जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक-23.02.2026 को परिवहन विभाग, मुख्यालय में योगदान समर्पित किया।

4. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के संगत प्रावधानों के तहत श्री हरि शंकर कुमार का योगदान दिनांक-23.02.2026 से स्वीकृत करते हुए योगदान की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2719

पटना, दिनांक-09/04/2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बि.प.२०

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

का0आ0सं0-07 / स्था0-09-16 / 2025, परि0

पटना, दिनांक-

कार्यालय आदेश

जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक-276, दिनांक-15.12.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विरुद्ध पिपरा कोठी थाना, मोतिहारी में प्राथमिकी सं0-425/25, दिनांक-14.12.2025 धारा-308(2)/61(2)ए बी0एन0एस0 एवं 7(a)/7A, भ्रष्टाचार निवरण संशोधित अधिनियम-2018 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दिनांक-14.12.2025 को गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में सुपुर्द किया गया है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश सं0-9930, दिनांक-18.12.2025 द्वारा श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 14.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार दिनांक-20.02.2026 को जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक-23.02.2026 को परिवहन विभाग, मुख्यालय में योगदान समर्पित किया।

4. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के संगत प्रावधानों के तहत श्री हरि शंकर कुमार का योगदान दिनांक-23.02.2026 से स्वीकृत करते हुए योगदान की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 09/04/2026

ज्ञापांक- 2719

प्रतिलिपि- प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/4/26

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

का0आ0सं0-07/स्था0-09-16/2025, परि0 27/9  
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक-09/04/2026

जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक-276, दिनांक-15.12.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विरुद्ध पिपरा कोठी थाना, मोतिहारी में प्राथमिकी सं0-425/25, दिनांक-14.12.2025 धारा-308(2)/61(2)ए बी0एन0एस0 एवं 7(a)/7A, भ्रष्टाचार निवर्ण संशोधित अधिनियम-2018 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दिनांक-14.12.2025 को गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में सुपुर्द किया गया है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश सं0-9930, दिनांक-18.12.2025 द्वारा श्री हरि शंकर कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, मोतिहारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(2) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 14.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार दिनांक-20.02.2026 को जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक-23.02.2026 को परिवहन विभाग, मुख्यालय में योगदान समर्पित किया।

4. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के संगत प्रावधानों के तहत श्री हरि शंकर कुमार का योगदान दिनांक-23.02.2026 से स्वीकृत करते हुए योगदान की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8.4.26  
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।